संघ का ज्ञापन नियम एवं विनियम

उप विधि

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कलकत्ता
1987

संघ का ज्ञापन
नियम एवं विनियम
उप विधि

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
सेक्टर –V, ब्लॉक जी एन
विधान नगर, कलकत्ता – 700 091

1998 में पुनर्मुद्रित

भूमिका

1961 के पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXVI के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (राविंसप) को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को इसके अध्यक्ष के रूप में पंजीकृत किया गया । राजपत्र अधिसूचना संख्या सीडी-607/79 दिनांक 17.09.79 द्वारा भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 यथा संशोधित में राविसंप को एक स्व शासित सोसाइटी के रूप में संस्कृति विभाग केन्द्रीय शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

राविसंप ने गठन के समय निम्नलिखित तीन विज्ञान संग्रहालयों / केन्द्रों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया जो पहले वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे और जिन्हें राजपत्र अधिसूचना संख्या सीडी-261/78 दिनांक 06.04.78 के अन्तर्गत सीएसआईआर से अलग किया गया था ।

1) बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता
2) विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलोर
3) नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ।

उक्त संग्रहालयों को सीएसआईआर की शासकीय निकाय द्वारा 21.09.77 को तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीएसआईआर की सोसाइटी की दिनांक 23.11.77 को बैठक में लिये गये निर्णयों के माध्यम से अलग किया गया ।

सोसाइटी तथा सीएसआईआर की शासकीय निकाय की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सीएसआईआर से इन संग्रहालयों को अलग करने का निर्णय अंतिम है

और सीएसआईआर का. ज्ञा. संख्या 1 सीएसआईआर/टीएल -78-III/सीडी एन दिनांक 15.10.82 के अनुसार वे शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ बने रहेंगे ।

अपने गठन के समय से नये विज्ञान केन्द्रों की एक श्रृंखला जैसे नेहरू विज्ञान केन्द्र का मुख्य भवन बम्बई, श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना, जिला विज्ञान केन्द्र, पुरूलिया, जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्ग, जिला विज्ञान केन्द्र, धरमपुर और जिला विज्ञान केन्द्र, तिरूरेल्वेली की स्थापना की है । अनुमोदित 7वीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का एक केन्द्र, लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और भोपाल में राज्य स्तरीय विज्ञान केन्द्र तथा नागपुर, कालीकट में जिला स्तरीय जैसे और पूर्वोत्तर राज्य परिषद में संग्रहालय/ केन्द्र निर्माणाधीन हैं ।

परवर्ती पृष्ठों में संघ का ज्ञापन, नियम एवं विनियम, उप विधि और सोसाइटी तथा राविसंप के शासकीय निकाय के सदस्यों की सूची उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
के
संघ के ज्ञापन

1. सोसाइटी के नाम "नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम" होगा ।
2. सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय तत्काल समय के लिए 19ए गुरूसदय रोड, कलकत्ता में अवस्थित रहेगा ।
3. जिन उद्देश्यों से सोसाइटी स्थापित की गयी है, वे हैं :

(i) निम्नलिखित तीन संग्रहालयों / केन्द्रों का प्रशासन एवं प्रबंधन वैज्ञानिक 1860 के सोसाइटी पंजीयन अधिनियमम XXI के अन्तर्गत पंजीकृत एवं औद्योगिक सोसाइटी अनुसंधान परिषद से उनकी संपूर्ण उनकी परिसम्पतियों और देयताओं के साथ भले ही वे किसी भी प्रकृति की हों ग्रहण करना ।

(अ) बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता
(ब) विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, बंगलोर
(स) नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ।

(ii) उपर्युक्त तीन संग्रहालयों / केन्द्रों और उनके क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का प्रशासन एवं संचालन

(iii) नये संग्रहालयों या विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के केन्द्रों और वैसे संस्थान सभी स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित, नियंत्रित और प्रशासित करना ।

(iv) लोगों में वैज्ञानिक अभिरूचि एवं तेवर को विकसित करने एवं उनमें सामान्य जागरूकता निर्मित करने अन्तर्निवेशित करने एवं उसे बनाये रखने के उद्देश्य से विज्ञान एवे प्रौद्योगिकी के विकास तथा उद्योग एवं मानव कल्याण में उनके उपयोग को दर्शाना ।

(v) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय वस्तुओं को एकत्र करना, संग्रहित एवं संरक्षित करना 1

(vi) औद्योगिक पुरातत्व के पुरोवशेष को स्थल संग्रहालयों के रूप में संरक्षित करना 1

(vii) विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान की लोकप्रियता के लिए विज्ञान संग्रहालय प्रदर्शों, प्रदर्श उपकरणों और शिक्षण उपकरणों को अभिकल्पित, विकसित और संरचित करना ।

(viii) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, लोकप्रिय व्याख्यानों, विज्ञान शिविरों और अन्य अनेक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों और आम लोगों की भलाई के लिए शहरों, उप नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता बढ़ाना ।

(ix) स्कूलों एवं कॉलेजों में विज्ञान शिक्षा को सम्पुष्ट करना और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को की भावना को पोषित करने के लिए स्कूल से बसहर विविध शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन ।

(x) विज्ञान शिक्षकों / विद्यार्थियों / युवा उद्यमियों / तकनीकीवीदों / विकलांग / गृहिणियों और अन्य लोगों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के विशिष्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना ।

(xi) विश्वविद्यालयों; तकनीकी संस्थानों, संग्रहालयों, स्कूलों एवं कॉलेजों एवं अन्य निकायों को योजना बनाने तथा विज्ञान संग्रहालयों को संगठित करने तथा संग्रहालय पेशे के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना ।

(xii) विज्ञान प्रदर्शों एवं प्रदर्शन उपकरणों के विकास के लिए केन्द्रों का गठन

(xiii) परिषद के कार्य कलापों से संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान संचालित करना और आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के आलोक में परम्परागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन

(xiv) संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधानों के लिए अनुसंधान फेलोशिप का गठन एवं प्रदान अनुसंधान फेलोशिप का गठन एवं प्रदान

(xv) भारतीय संदर्भ में विशेषत: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के विकास से संबंधित अभिलेखों एवं दस्तावेजों को एकत्र संग्रहित और संरक्षित करना और इसके लिए अभिलेखागार स्थापित करना

(xvi) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगि संग्रहालयों और केन्द्रों से संबंधित सूचना प्राप्त करना एवं पृथक करना 1

(xvii) सोसाइटी के लक्ष्य के अनुपालन में वाचन एवं अध्ययन कक्षा के साथ एवं संदर्भ पुस्तकालयों का गठन एवं रख-रखाव । इन पुस्तकालयों में पुस्तकें, समीक्षाएँ, पत्रिकाएँ, अखबार और अन्य प्रकाशनों को उपलब्ध कराना;

(xviii) संग्रहालय विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास और विज्ञान की लोकप्रियता के क्षेत्र में समर्पित वैज्ञानिक कागजों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन;

(xix) विदेशी वैज्ञानिक अभिकरणों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालयों / केन्द्रों तथा वैसे संस्थानों के साथ संग्रहालय पेशेवरों के आदान-प्रदान अध्ययन दौरों, संग्रहालय विज्ञान और संग्रहालय अंकन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास, संयुक्त परियोजनाओं का संचालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालयों / केन्द्रों और वैसे संस्थानों एवं सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के लिए अन्य विषयों हेतु करार करना;

(xx) सोसाइटी के उद्देश्य के लिए पैसे निकालना एवं स्वीकार करना, छूट देना एवं पृष्ठांकित करना तथा अन्य रूक्का, विनियम बिल, चेक और अन्य परक्रामय लिखत;

(xxi) शासकीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वैसे प्रतिभूति या उन विधियों के अनुसार सोसाइटी की निधि, उसके द्वारा प्राप्त राशि या न्यस्त राशि को निवेश करना, या वैसे निवेश की बिक्री करना या स्थान बदलना

(xxii) सोसाइटी के उद्देश्य के लिए केन्द्र या राज्य सरकार, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करना;

(xxiii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सीएसआईआर या अन्य सार्वजनिक निकायों, निगमों, कम्पनियों या व्यक्तियों से सोसाइटी के उद्देश्य के लिए अनुदान या धन प्राप्त करना ।

(xxiv) सोसाइटी की सुविधा या आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी अवस्थित जमीन या भवन खरीदना, लीज पर लेना, उपहार या किसी अन्य रूप में स्वीकार करना ।

(xxv) सोसाइटी के लिए आवश्यक किसी भवन का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन लाना ।

(xxvi) सोसाइटी की चल या अचल सम्पत्तियों के सम्पूर्ण भाग या किसी भाग को बिक्री करना, लीज देना, विनियम, उपहार, बंधक, लाइसेंस या किसी अन्य रूप में हस्तान्तरित करना ।

(xxvii) सोसाइटी के उद्देश्य के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करना एवं वेतन देना तथा भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता योजनाओं को वैसे कार्मिकों के भले के लिए बनाये रखना ।

(xxviii) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक या सहायक अन्य सभी कार्य करना जिसे सोसाइटी या शासकीय निकाय आवश्यक समझे ।

4. किसी भी ढंग से प्राप्त सोसाइटी की आय एवं सम्पति का उपयोग संघ के ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा वशर्ते जबतब खर्च का सम्पतियों के निपटान के मामले में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा वैसी सीमायें या शर्तें न लगाई जाए । सोसाइटी की आय या सम्पति का कोई भी अंश लाभांश, बोनस या अन्य किसी भी प्रकार से लाभ के रूप में किसी भी समय उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाएगी या हस्तान्तरित की जा सकेगी जो किसी भी समय इस सोसाइटी का सदस्य या उससे संबद्ध रहा हो बशर्ते इसमें विद्यमान कुछ भी विश्वास स्वरूप पारिश्रमिक के रूप में उसके सदस्य को सोसाइटी को दी गयी सेवों के बदले में दी जा रहीं हों ।

* 4 अप्रैल, 1978 को नियमबद्ध किया गया एवं 27 फरवरी, 1964 को संशोधित किया गया ।

5. सोसाइटी के उद्देश्यों को प्रसारित करने के लिए सरकार सोसाइटी को आवश्यक निदेश जारी कर सकती है और उनके उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सोसाइटी उन निदेशों का अनुपालन करेगी ।

6. यदि, सोसाइटी के समापन या भंग करने के समय, सभी कर्जों एवं देयताओं का संतोष जनक निपटारा किये जाने के बाद किसी भी प्रकार की सम्पति बच जाती है तो उसे सोसाइटी के सदस्यों को दिया या उनके बीच वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि से कदम उठाया जाएगा ।

7. शासकीय निकाय जिसके हाथों इसे कार्य व्यापार के प्रबंधन का दायित्व दिया जा रहा है, का गठन सोसाइटी के नियम एवं विनियमों के तहत किया जाएगा और उक्त शांसकीय निकाय के प्रथम सदस्य होंगे :-

क्रम संख्या	नाम	पता	पद
1.	श्री ए एस गिल	अपर सचिव, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
2.	डॉ ए रामाचन्द्रन	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं	सदस्य
3.	श्री जे ए कल्याण कृष्णन	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य

4.	डॉ आत्मा राम	अध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी राष्ट्रीय समिति, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डॉ ए एन बोस	कुलपति, यादवपूर विश्वविदयालय	सदस्य
6.	श्री ए बोस	संग्रहालय निदेशक, 19 ए गूरूसदय रोड, कलकत्ता	सदस्य
7.	श्रीमती जे अंजनी दयानन्द	संयुक्त सचिव (विद्यालय) शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य

प्रथम शासकीय निकाय का कार्यकाल एक साल की अवधि का होगा या सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के अनुसार नयी शासकीय निकाय का गठन नहीं हो जाता, जो भी पहले हो ।

8. सोसाइटी के नियमों की प्रमाणित प्रति जिसे शासकीय निकाय के तीन सदस्यों द्वारा संशोधित किया जाना है, संघ के ज्ञापन के साथ फाइल किया जा रहा है ।

9. हम, कई व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिये गये हैं इस संघ के ज्ञापन में वर्णित प्रयोजनों के लिए अपना नाम इस संघ के ज्ञापन से एतदद्वारा सम्बद्ध करते हैं और 1961 के पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXVI के अन्तर्गत आज तीन अप्रैल, एक हजार नौ सौ अठहत्तर को सोसाइटी के रूप में अपने हाथ इसके साथ रखते हैं ।

नाम	हस्ताक्षर	पता	साक्ष्यांकन
श्री ए एस गिल	ह./- ए एस गिल	अपर सचिव, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	ह./-(जे एम गुगनानी) सहायक शैक्षिक सलाहकार
डॉ ए रामाचन्द्रन	ह./- ए रामाचन्द्रन	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं	ह./- एक के घोष वरिष्ठ संगहाध्यक्ष, बिऔप्रौसं
श्री जे ए कल्याण कृष्णन	ह./- जे ए कल्याण कृष्णन	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	ह./- एस एन दत्त, सदस्य/शिक्षा
डॉ आत्मा राम	ह./- आत्मा राम	अध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति, नई दिल्ली	ह./- आत्मा राम ह./- (एस के घोष)
डॉ ए एन बोस	ह./- ए एन बोस	कुलपति, यादवपूर विश्वविद्यालय	ह./- (डी पी गांगुली) एसओ बिऔप्रौसं,
श्री ए बोस	ह./- ए बोस	संग्रहालय निदेशक, 19 ए गूरूसदय रोड, कलकत्ता	ह./- (एस के घोष) वरिष्ठ संग्रहाध्यक्ष
श्रीमती जे अंजनी दयानन्द	ह./- ज अंजनी दयानन्द	संयुक्त सचिव (विद्यालय) शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	ह./- (सुश्री)(वीना कोहली) उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय